कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़
सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-372/2023 दिनांक- 21.11.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना - कन्धरापुर

धोखाधड़ी में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 27.07.2023 को वादी मुकदमा रुद्रांश राय पुत्र श्री विनोद राय ग्राम मधुबन थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि वादी मुकदमा द्वारा जमीन के क्रय के सम्बंध में 1.अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल 2.सत्तार शहंशाह पुत्र अब्दुल गफ्फार 3.अन्जुम आरा पत्नी अब्दुल सलाम 4.अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल सत्तार तथा 5.अब्दुल कुद्दूश पुत्र अब्दुल सत्तार मोहल्ला जालन्धरी शहर व थाना कोतवाली आजमगढ़ से बात चीत हुई और उपरोक्त जमीन की विक्रय धनराशि कुल एक करोड़ रुपये में तय हुई जमीन विक्रय की बात वादी के आवास पर हुई। वादी ने बात चीत के अनुसार तथा उपरोक्त लोगो के मांग के अनुसार सितम्बर 2017 से विभिन्न तिथियो में शहमशाह , अन्जुम आरा , अब्दुल सलाम , अब्दुल कुद्दूश तथा उनकी फर्म नेहा फर्नीचर के एकाउन्ट में जरिये RTGS व चेक मुवलिग कुल रकम रु0 6292250/- दे दिया उपरोक्त लोग वादी को जमीन की रजिस्ट्री करने में आना कानी करने लगे तथा वार्ता के दौरान उपरोक्त सभी लोग उग्र होकर मार-पीट करने के लिये आमादा होना तथा स्व0 अब्दूल सत्तार के परिवार के उपरोक्त लोग इकट्ठा होकर षडयंत्र के तहत जालसाजी करके वादी का पैसा हड़पना चाहते है। वार्ता के दौरान उन लोगों ने वादी को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिये उपरोक्त लोगों ने षडयंत्र व जाल साजी व धोखा-फरेब देकर वादी से उपरोक्त धनराशि ले लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0. 195/23 धारा 406,420,504,506 भादवि बनाम 1.अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार 2.शहंशाह पुत्र अब्दुल गफ्फार 3.अंजुम आरा पुत्र अब्दुल सलाम 4.अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल सत्तार 5.अब्दुल दुद्दूम पुत्र अब्दुल सत्तार के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर पंजीकृत कराया था। तथा बाद विवेचना धारा 467/468/471 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.11.2023 को थानाध्यक्ष ब्रम्हदीन पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अब्दुल कुद्दूस पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी जालन्धरी शहर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 56 वर्ष को अभियुक्त के खुद के बक्से, आलमारी की दुकान जालन्धरी थाना क्षेत्र कोतवाली से समय करीब 13.15 बजे जालन्धरी मोहल्ला थाना क्षेत्र कोतवाली से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 195/23धारा 406,420,504,506,467,468,471भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1- अब्दुल कुद्दूस पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी जालन्धरी शहर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 56 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराह हे0का0 भानु प्रताप यादव , का0 नितिन कुमार मिश्रा, का0 सुधीर कुमार सिंह थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ।

थाना – अहरौला

लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 23.02.2023 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला आजमगढ़ के लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 20-21.02.2023 को वादिनी की लड़की को अभि0 सूरज पुत्र अज्ञात द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 48/2023 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.11.2023 को उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित सूरज पुत्र जगदीश उम्र 27 वर्ष निवासी इमामगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को फुलवरिया अंडर बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभि0 को मा0 न्याया0 भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 48/23 धारा 363/366 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1. सूरज पुत्र जगदीश उम्र 27 वर्ष निवासी इमामगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 शिवसागर यादव व का0 पंकज चौरसिया थाना अहरौला आजमगढ़ ।

थाना अतरौलिया

15.6 ग्राम स्मैक के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 21.11.2023 को उ0नि0 सन्तोष कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान पेड़ुका बाबा तिराहे के पास से 02 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम रामजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेन्द्र सिंह निवासी तेजापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष बताया व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम दिवाकर सिंह पुत्र रामजीत निवासी तेजापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष बताया। दोनों व्यक्तियों के पास से बरामद 15.6 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। अभियुक्तों का यह कृत्य धारा 8/21 N.D.P.S. Act का अपराध है । अतः अभियुक्तों को उनके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 07.35 बजे हिरासत पुलिस तथा बरामद स्मैक को कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 378/23 धारा 8/21 NDPS Act थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. रामजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह 2. दिवाकर सिंह पुत्र रामजीत निवासीगण तेजापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 सन्तोष कुमार 2. का0 मुन्दन कुमार 3. का0 बब्लू अली 4. का0 अरुण थाना अतरौलिया
5. हे0का0 रामकृष्ण गौड़ 6. का0 सर्वेश यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना –मेंहनाजपुर

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20.11.2023 को हे0का0 उमाशंकर पटेल मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान जीयापुर के पास एक व्यक्ति संतोष सिंह पुत्र स्व0 सूर्यनाथ सिंह ग्राम सकिया बकिया थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ समय करीब 04.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 239/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

दिनांक 20.11.2023 को उ0नि0 फूलचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान शाहपुर की तरफ से नहर पकड़कर बरवां के तरफ एक झोले में पिपिया में एक व्यक्ति अरविन्द राजभर पुत्र जनार्दन राजभर ग्राम मेंहनाजपुर पूरब का पुरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को 10 लीटर अवैध शराब के साथ समय करीब 08.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 240/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।